# महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक
# MAHARASHTRA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, NASHIK
दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाशिक-४२२००४ Dindori Road, Mhasrul, Nashik-422004
Phone: 0253 – 2539 157/211, 6659 157/211, Fax: 0253 - 2539163
Email: specialcell@muhs.ac.in Website: www.muhs.ac.in
MUHS

**डॉ. सुनिल ह. फुगारे** — **Dr. Sunil H. Fugare**
एम.एस्सी. पीएच.डी. — MSc.Ph.D.
**उपकुलसचिव** — **Deputy Registrar**


जा. क्र. मआविवि/विक - आयु./३५० /२०२२ — दिनांक : २३ / ०९ /२०२२

प्रति

**मा. अध्यक्ष/सचिव,**
मातोश्री एज्युकेशन सोसायटी चे,
**मातोश्री आयुर्वेद कॉलेज**
एकलहरे, मातोश्री एज्युकेशन कॅम्पस,
ओढा गांव जवळ, नाशिक औरंगाबाद हायवे,
**नशिक - ४२२ १०५.**

**विषय :- महाविद्यालयातील शिक्षक पदांची तात्पुरत्या स्वरुपात बिंदूनामावलीची तपासणी करणेबाबत...**

**संदर्भ :-** १) विद्यापीठ परिपत्रक क्र. मआविवि/ई-ओ/१६३२/२०१७, दि.०४/०५/२०१७.
२) विद्यापीठ परिपत्रक क्र. मआविवि/विक-परिपत्रक/३००/२०१९, दि.०९/०६/२०१९.
३) महाविद्यालयाचे पत्र क्र. MES/BAMS/College/2021-22/222, Dt. 15/09/2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भीय पत्रांचे अनुषंगाने, आपल्या संस्थेचे मातोश्री आयुर्वेद कॉलेज या महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्तीकरीता विद्यापीठ निदेश क्र.०१/२०१७ नुसार पदे भरणेकरीता तात्पुरती बिंदूनामावली महाविद्यालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार व महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार तपासण्यात आलेली आहे. शिक्षकांची तात्पुरती बिंदूनामावली तपासणीतील प्रवर्गनिहाय तात्पुरत्या रिक्त पदांचा अनुशेष खालील प्रमाणे आहे. सदर महाविद्यालयाची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता **पदवी - ६०** आहे.

| अ.क्र. | संवर्ग-(सरळसेवा) वर्ग-(१-२) / पदनाम | आकृतीबंध आराखडया प्रमाणे मंजूर पदे | विद्यापीठाने मंजुर केलेली अतिरिक्त / जादा पदे | एकूण मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | प्रवर्गा निहाय पदे व एकूण | मंजुर पदावर आवश्यक आरक्षण | प्रत्यक्ष दिलेले आरक्षण | अनुशेष | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्राचार्य / प्राध्यापक | ०१ | — | ०१ | ०१ | — | अजा | — | — | — | एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही. |
| | | | | | | | अज | — | — | — | |
| | | | | | | | विजाभज | — | — | — | |
| | | | | | | | विमाप्र | — | — | — | |
| | | | | | | | इमाव | — | — | — | |
| | | | | | | | आदुघटक | — | — | — | |
| | | | | | | | अराखीव | ०१ | ०१ | ०० | |
| | | | | | | | **एकूण** | **०१** | **०१** | **००** | |

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ मागास वर्गीय कक्ष नाशिक

| अ.क्र. | संवर्ग-(सरळसेवा) वर्ग-(१-२) पदनाम | आकृतीबंध आराखड्या प्रमाणे मंजूर पदे | विद्यापीठाने मंजूर केलेली अतिरिक्त / जादा पदे | एकूण मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | प्रवर्ग निहाय पदे व एकुण | मंजूर पदावर आवश्यक आरक्षण | प्रत्यक्ष दिलेले आरक्षण | अनुशेष | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | प्राध्यापक | ०२ | — | ०२ | ०१ | ०१ | अजा | ०१ | — | ०१ | अनुशेष खालीलप्रमाणे<br>अ.जा. - ०१ (कायाचिकित्सा) |
| | | | | | | | अज | — | — | — | |
| | | | | | | | विजाभज | — | — | — | |
| | | | | | | | विमाप्र | — | — | — | |
| | | | | | | | इमाव | — | — | — | |
| | | | | | | | आदुघटक | — | — | — | |
| | | | | | | | अराखीव | ०१ | ०१ | — | |
| | | | | | | | **एकूण** | **०२** | **०१** | **०१** | |

| अ.क्र. | संवर्ग-(सरळसेवा) वर्ग-(१-२) पदनाम | आकृतीबंध आराखड्या प्रमाणे मंजूर पदे | विद्यापीठाने मंजूर केलेली अतिरिक्त / जादा पदे | एकूण मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | प्रवर्ग निहाय पदे व एकुण | मंजूर पदावर आवश्यक आरक्षण | प्रत्यक्ष दिलेले आरक्षण | अनुशेष | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | सहयोगी प्राध्यापक (Reader) | १३ | — | १३ | — | १३ | अजा | ०२ | — | ०२ | अनुशेष खालीलप्रमाणे<br>अ.जा. -०२ (रोगनिदान, स्वस्थवृत्त)<br>अ.ज. - ०१ (द्रव्यगुण)<br>विजा (अ) - ०१ (कौमारभृत्य)<br>भज (क) - ०१ (रसशास्त्र<br>इ.मा.व. - ०२<br>(संहिता सिद्धांत, अगदतंत्र)<br>आ.दु.घटक - ०१ (पंचकर्म)<br>अराखीव - ०५ (रचना शरीर, स्त्रीरोग, कायाचिकित्सा, शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र) |
| | | | | | | | अज | ०१ | — | ०१ | |
| | | | | | | | विजाभज | ०२ | — | ०२ | |
| | | | | | | | विमाप्र | — | — | — | |
| | | | | | | | इमाव | ०२ | — | ०२ | |
| | | | | | | | आदुघटक | ०१ | — | ०१ | |
| | | | | | | | अराखीव | ०५ | — | ०५ | |
| | | | | | | | **एकूण** | **१३** | **००** | **१३** | |

| संवर्ग निहाय एकुण पदे | प्रवर्ग निहाय पदे: प्रवर्ग | | आवश्यक (आरक्षण) | प्रवर्गनिहाय स्थिती | | समांतर आरक्षण नसलेली पदे | | समांतर आरक्षण निहाय पदे: महिला (अ त ड) ३०% | | माजी सैनिक (क व ड) १५% | | पदवीधर/ पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवार (क व ड) १०% | | खेळाडू (अ त ड) ५% | | प्रकल्पग्रस्त (क व ड) ५% | | भुकंपग्रस्त (क व ड) २% | | अनाथ (अ त ड) १% | | दिव्यांग (अ त ड) ४% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भरलेली / बिंदु वापरला | अनुशेष / रिक्त पदे | भरलेली | रिक्त | भरलेली | रिक्त | भरलेली | रिक्त | भरलेली | रिक्त | भरलेली | रिक्त | भरलेली | रिक्त | भरलेली | रिक्त | भरलेली | रिक्त | भरलेली | रिक्त |
| १३ | अनुसूचित जाती | १३% | २ | - | २ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | अनुसूचित जमाती | ७% | १ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | विमुक्त जाती (अ) | ३% | १ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | भटक्या जमाती (ब) | २.५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | भटक्या जमाती (क) | ३.५% | १ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | भटक्या जमाती (ड) | २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | विशेष मागासवर्ग | २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | इतर मागासवर्ग | १९% | २ | - | २ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | आदुघ | १०% | १ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | खुले वर्ग | ३८% | ५ | - | ५ | - | ३ | - | २ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | एकुण | | १३ | - | १३ | - | ९ | - | ४ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | * |

*प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापक या संवर्गातून १ दिव्यांगाचे पद भरण्यात यावे.

| अ.क्र. | संवर्ग-(सरळसेवा) वर्ग-(१-२) पदनाम | आकृतीबंध आराखड्या प्रमाणे मंजूर पदे | विद्यापीठाने मंजूर केलेली अतिरिक्त / जादा पदे | एकूण मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | प्रवर्ग निहाय पदे व एकुण | मंजूर पदावर आवश्यक आरक्षण | प्रत्यक्ष दिलेले आरक्षण | अनुशेष | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | व्याख्याता (Lecturer) | १५ | — | १५ | ०३ | १५ | अजा | ०२ | — | ०२ | अनुशेष खालीलप्रमाणे |
| | | | | | | | अज | ०१ | — | ०१ | अ.जा.- ०२ (प्रसुती स्त्रीरोग, कायाचिकित्सा) |
| | | | | | | | विजाभज | ०२ | — | ०२ | अ.ज - ०१ (शल्यतंत्र) |
| | | | | | | | विमाप्र | — | — | — | विजा (अ) - ०१ (शालाक्यतंत्र) |
| | | | | | | | इमाव | ०३ | — | ०३ | भज (क) - ०१ (पंचकर्म) |
| | | | | | | | आदुघटक | ०१ | — | ०१ | इ.मा.व. - ०३ (संहिता सिद्धांत, रोगनिदान, द्रव्यगुण) |
| | | | | | | | अराखीव | ०६ | ०३ | ०३ | आ.दु.घटक - ०१ (कौमारभृत्य) |
| | | | | | | | **एकूण** | **१५** | **०३** | **१२** | अराखीव -०३ (रसशास्त्र, स्वस्थवृत्त, अगदतंत्र) |

| संवर्ग निहाय एकुण पदे | प्रवर्ग निहाय पदे: प्रवर्ग | | आवश्यक (आरक्षण) | प्रवर्गनिहाय स्थिती: भरलेली / बिंदु वापरला | प्रवर्गनिहाय स्थिती: अनुशेष / रिक्त पदे | समांतर आरक्षण नसलेली पदे: भरलेली | समांतर आरक्षण नसलेली पदे: रिक्त | महिला (अ ते ड) ३०%: भरलेली | महिला: रिक्त | माजी सैनिक (क व ड) १५%: भरलेली | माजी सैनिक: रिक्त | पदवीधर/ पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवार (क व ड) १०%: भरलेली | पदवीधर: रिक्त | खेळाडू (अ ते ड) ५%: भरलेली | खेळाडू: रिक्त | प्रकल्पग्रस्त (क व ड) ५%: भरलेली | प्रकल्पग्रस्त: रिक्त | भुकंपग्रस्त (क व ड) २%: भरलेली | भुकंपग्रस्त: रिक्त | अनाथ (अ ते ड) १%: भरलेली | अनाथ: रिक्त | दिव्यांग (अ ते ड) ४%: भरलेली | दिव्यांग: रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १५ | अनुसूचित जाती | १३% | २ | - | २ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | अनुसूचित जमाती | ७% | १ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | विमुक्त जाती (अ) | ३% | १ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | भटक्या जमाती (ब) | २.५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | भटक्या जमाती (क) | ३.५% | १ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | भटक्या जमाती (ड) | २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| | विशेष मागासवर्ग | २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | इतर मागासवर्ग | १९% | ३ | - | ३ | - | २ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | आदुघ | १०% | १ | - | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | खुले वर्ग | ३८% | ६ | - | ६ | ३ | २ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| एकुण | | | १५ | - | १५ | ३ | ९ | - | ३ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |

**टिप :-**

१) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जमाती) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.

२) आरक्षण कायदा कलम ३.(१) हा अधिनियम,-

(क) वैद्यकीय, तंत्र व शिक्षण क्षेत्रातील अति विशेषीकृत्त पदे :

(ख) बदली किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे :

(ग) पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीसाठीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या आणि

(घ) कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद, यांव्यतिरिक्त, लोक सेवांमधील व पदांवरील सर्व नियुक्त्यांना लागू होईल.

आरक्षण कायदा कलम ४.(१) प्रमाणे :- या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये अन्यथा तरतूद केली नसेल तर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग, यांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा अशा जातीतील, जमातीतील, प्रवर्गातील किंवा वर्गातील नसलेल्या उमेदवारांद्वारे भरण्यात येणार नाहीत.

आरक्षण कायदा कलम ४.(२) प्रमाणे :- अ.जा.-१३%, अ.ज.-७%, विजा (अ)-३%, भ.ज. (ब)-२.५%, भ.ज. (क)-३.५%, भ.ज. (ड)-२%, वि.मा.प्र.-२%, इ.मा.व.-१९%, आदुघ-१०%.

३) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.८) **अन्वये उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे पदे आरक्षित ठेवणे व आरक्षणानिहाय पदे भरणे ही नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. सदर तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधिताविरुध्द अधिनियमाच्या कलम ८ अन्वये पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.**

४) मआविवि अधिनियम १९९८ मधील कलम ७ (२) नुसार अनुसूचित जातींसाठी, अनुसूचित जमातींसाठी व इतर मागासवर्गासाठी, अध्यापक, अध्यापकेतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेगवेगळया पदांवरील नियुक्त्यांच्या बाबतीत व संलग्न महाविद्यालयात, विद्यापीठ विभागात, विद्यापीठ संस्थेत किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या नियोजनाकरीता, विद्यापीठ राखीव जागा ठेवण्यासंबंधितील शासनाचे धोरण व शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश किंवा निदेश यांचा अंगीकार करील. तसेच, ७ (३) नुसार विद्यापीठ शासनाकडुन वेळोवेळी निदेश देण्यात येईल त्यानुसार, समाजाच्या दुर्बल घटकांच्या विविध प्रवर्गाच्या व अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासंबंधात शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणाचा अवलंब करील.

५) नियुक्ती प्राधिकरी यांनी पुरविलेल्या माहितीचे आधारे तात्पुत्या बिंदूनामावलीची तपासणी करण्यात आली आहे. सदर माहिती चुकीची असल्याचे निष्पन झाल्यास व काही न्यायालयीन तक्रार उद्भवल्यास याबाबत संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी जबाबदार राहतील.

६) मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरुपी नियुक्तीस जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून पडताळणी करुन घ्यावे या सदंर्भात शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय परिपत्रक क्र. बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-व दि.१८/०५/२०१३ व दि.३०/०७/२०१३, महाराष्ट्र लोकसेवा आरक्षण अधिनियम,२००१, महाराष्ट्र जातवैधता पडताळणी अधिनियम, २००० अनुसार कार्यवाही करणेत यावी. सर्व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे जातप्रमाणपत्र व जातवैधताप्रमाणपत्र प्राप्त करुन दप्तरी ठेवावे.

७) शासनाचे आदेशानुसार सरळसेवा भरती व पदोन्नतीमध्ये शारीरीक दृष्टया अपंगाचे ४ टक्के आरक्षण भरणे आवश्यक आहे. शासन परिपत्रक दि.०६/०५/२००८ चे अनुषंगाने अंपगाची ४ टक्के आरक्षणाकरीता बिंदूनामावली नोंदवही गट निहाय ठेवण्यात यावी. तसेच, याबाबत शासन सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय परिपत्रक क्र. न्यायप्र-२०११/प्र.क्र.१२९/सुधार-३ दि.०४/०८/२०११ चे अंपगाचे आरक्षण भरण्याबाबत आदेश दिलेले असून, त्यानूसार अंपगाचा अनुशेष विहित मुदतीत पूर्ण करावा.

८) विद्यापीठाने तात्पुरत्या बिंदुनामावलीची तपासणी शासन निर्णय/परिपत्रक दि.०५/१२/१९९४,दि.२९/०३/१९९७, दि.१८/१०/१९९७, दि.२१/०९/१९९८, दि.०५/११/२००९ दि.१६/०३/१९९९, दि.२१/०२/२०१५, दि.०२/०३/२०१५, दि.१०/०३/२०१५, दि.३०/०६/२०१५, दि.०५/१२/२०१८, दि.१९/१२/२०१८, दि.०७/०१/२०१९, दि.१२/०२/२०१९, दि.१६/०२/२०१९, दि.१८/०२/२०१९, दि.०४/०७/२०१९, दि.०६/०७/२०२१ दि.२५/०२/२०२२, ११/०४/२०२२ इ. व अवर सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांच्या दि. २९/०४/२०२२ रोजीच्या पत्रानुसार केलेली आहे.

९) "मा. उच्च न्यायालय (औरंगाबाद खंडपीठ) येथे दाखल केलेल्या याचिका क्र.१२०५१/२०१५ महाराष्ट्र ऑल बहुजन शिक्षक मंडळ विरुध्द महाराष्ट्र राज्य आणि इतर मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून बिंदूनामावलीची तपासणी करुन देण्यात आलेली आहे." तसेच, याचिका क्र.२७४७/२०१३, २८४६७/२०१३, ५८३०/२०१५ व ११८०९/१५ प्रलंबित असून, मा.उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून तात्पुरत्या बिंदूनामावलीची तपासणी करुन देण्यात आलेली आहे.

१०) शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.८३५/१६-ब दि.२५/०२/२०२२ नुसार छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती चे अवलोकन व्हावे.

११) शासन निर्णय दि.२१/०९/१९९८ नुसार एकाकी पदास आरक्षण लागु नाही.

१२) सद्यस्थितीत तात्पुरत्या स्वरुपाच्या बिंदूनामावली नोंदवहीची तपासणी करण्याकरीता पुरविण्यात आलेल्या माहितीत या नंतर कायमस्वरुपी बिंदूनामावली नोंदवहीच्या तपासणीच्या वेळी माहितीमध्ये जर तफावत दिसून आल्यास या संबंधित सर्व जबाबदारी हि संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांची राहिल.

१३) सदर शिक्षकांच्या तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्त्यांची नोंद कायम स्वरुपी बिंदूनामावली नोंदवहीमध्ये घेण्यात येणार नाही याची प्रकर्षाने काळजी घ्यावी.

१४) विद्यापीठाने सदर महाविद्यालयास एकुण (००) अतिरिक्त पदे यापूर्वी मंजुर करुन घेतलेली आहेत.

१५) महाविद्यालयाची चालू वर्षाची विषयनिहाय मंजूर शिक्षक आकृतीबंधानुसार तात्पुरती तपासणी केलेली आहे. महाविद्यालयांना तात्पुरती नियुक्त्यांची संधी दिल्यानंतर पुनःश्च तात्पुरत्या नियुक्तीकरीता बिंदूनामावली तपासणी तात्पुरत्या स्वरुपात करता येणार नाही. महाविद्यालयांना सहा महिन्याच्या आत कायमस्वरुपी बिंदूनामावलीची प्रक्रिया राबविणे अनिवार्य असेल. तापुरत्या बिंदूनामावली प्रमाणे अनुशेषांची पदे न भरल्यास व यापासुन भविष्यात कोणतेही न्यायालयील प्रकरणे उद्‌भवल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची असेल.

१६) महाविद्यालयाने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येकवर्षी किती अनुशेष भरला याबाबतचे वार्षिक विवरणपत्र आपल्या महाविद्यालयास संलग्न असलेल्या विभागीय मागासवर्ग कक्ष यांना पाठविणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त तात्पुरते आरक्षण महाविद्यालयाने पुरविलेल्या माहितीवरुन काढुन देण्यात आलेले आहे. तसेच, शेऱ्याच्या रकान्यात संवर्गनिहाय / प्रवर्गनिहाय / विषयनिहाय शेरे नमूद केलेले आहेत.

आपला,

समन्वयक

विशेष कक्ष

समन्वयक, विशेष कक्ष
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ,
नाशिक.

**प्रतिलिपी योग्य त्या कार्यवाहीस्तव:** मा. विभागप्रमुख, शैक्षणिक विभाग-१.